रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 288] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 18, 1975/आश्विन 26, 1897
No. 288] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 18, 1975/ASVINA 26, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 18th October 1975

THE ANDHRA PRADESH PUBLIC EMPLOYMENT (ORGANISATION OF LOCAL CADRES AND REGULATION OF DIRECT RECRUITMENT) ORDER, 1975

G.S.R. 524(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (1) and (2) of article 371-D of the Constitution, the President hereby makes, with respect to the State of Andhra Pradesh, the following Order, namely:—

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) This Order may be called the Andhra Pradesh Public Employment (Organisation of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment) Order, 1975.

(2) It extends to the whole of the State of Andhra Pradesh.

(3) It shall come into force at once.

2. **Interpretation.**—(1) in this Order, unless the context otherwise requires,—

(a) 'City of Hyderabad' means the part of the State comprising the territories specified in the First Schedule;

(b) 'direct recruitment' includes recruitment made on a temporary basis but does not include recruitment made in pursuance of any scheme approved by the State Government providing for the regularisation of the services of persons holding posts on a temporary basis before the commencement of this Order;

(c) 'local area', in relation to any local cadre, means the local area specified in paragraph 6 for direct recruitment to posts in such local cadre, and includes, in respect of posts belonging to the category of Civil Assistant Surgeons, the local areas specified in sub-paragraph (5) of paragraph 8 of this Order;

(d) 'local authority' does not include any local authority which is not subject to the control of the State Government;

(e) 'local cadre' means any local cadre of posts under the State Government organised in pursuance of paragraph 3, or constituted otherwise, for any part of the State;

(f) 'local candidate', in relation to any local area, means a candidate who qualifies under paragraph 7 as a local candidate in relation to such local area;

(g) 'Major Development Project' means a development project the cost or the estimated cost of which exceeds Rs. 5 crores and notified as such by the Central Government;

(h) 'Schedule' means a Schedule appended to this Order;

(i) 'Special Office or Establishment' means an Office or Establishment notified as such by the Central Government;

(j) 'specified gazetted category' means any gazetted category specified in the Third Schedule and includes any other gazetted category notified as such by the Central Government;

(k) 'State Government' means the Government of Andhra Pradesh;

(l) 'State-level office or institution' means an office or institution serving, or the jurisdiction of which extends to, the State as a whole and notified as such by the Central Government;

(m) 'Zone' means a zone specified in the Second Schedule comprising the territories mentioned therein.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 or 1897) applies for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. **Organisation of local cadres.**—(1) The State Government shall, within a period of twelve months from the commencement of this Order, organise classes of posts in the civil services of, and classes of civil posts under, the State into different local cadres for different parts of the State to the extent, and in the manner, herein after provided.

(2) The posts belonging to the category of lower division clerk, and to each of the other categories equivalent to, or lower than that of a lower division clerk, in each department in each district shall be organised into a separate cadre.

Explanation.—For the purposes of this sub-paragraph, sub-paragraph (1) of paragraph 6, and sub-paragraph (1) of paragraph 8, a category shall be deemed to be equivalent to or lower than that of a lower division clerk if the minimum of the scale of pay of a post belonging to that category or, where the post carries a fixed pay, such fixed pay, is equal to or lower than the minimum of the scale of pay of a lower division clerk.

(3) The posts belonging to each non-gazetted category, other than those referred to in sub-paragraph (2), in each department in each zone shall be organised into a separate cadre.

(4) The posts belonging to each specified gazetted category in each department in each zone shall be organised into a separate cadre.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-paragraphs (3) and (4), the State Government may, where it considers it expedient so to do and with the approval of the Central Government, organise the posts belonging to any of the categories referred to therein, in any department, or any establishment thereof, in two or more contiguous zones into a single cadre.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-paragraphs (2), (3), (4) and (5), the Central Government may notify the departments in which and the categories of posts for which a separate cadre has to be organised for the City of Hyderabad and on such notification, the posts belonging to each such category in each such department in the said City (other than those concerned with the administration of areas falling outside the said City) shall be organised into a separate cadre and the posts so organised shall be excluded from the other cadres, organised in pursuance of this paragraph, or constituted otherwise, and comprising posts belonging to that category in that department.

(7) In organising a separate cadre in respect of any category of posts in any department for any part of the State, nothing in this Order shall be deemed to prevent the State Government from organising or continuing more than one cadre in respect of such category in such department for such part of the State.

(8) Where the Central Government is satisfied that it is not practicable or expedient to organise local cadres under this paragraph in respect of any non-gazetted category of posts in any department, it may, by notification, make a declaration to that effect and on such declaration the provisions of this paragraph shall not apply to such category of posts.

4. **Allotment of persons.**—(1) Persons holding posts required to be organised into local cadres shall be allotted to such cadres by the State Government or any officer or authority authorised by it in this behalf in accordance wih the principles and procedure hereinafter specified.

(2) In allotting persons to local cadres due regard shall be had to all or any of the following, namely:—

(a) the administrative needs of the posts in the local cadres;

(b) the need for the composition of balanced local cadres with reference to age and seniority groups;

(c) the length of service of the persons concerned in the part of the State for which the local cadre is organised;

(d) knowledge of the persons concerned of the languages spoken and the law in force in the part of the State for which the local cadre is organised;

(e) preference of the persons concerned for allotment to any local cadre, where feasible.

(3) The State Government may, in respect of different departments and different categories of posts, constitute committees to advise on the allotment of persons to local cadres.

(4) Any person aggrieved by an order allotting him to any local cadre may submit a representation to the State Government within a period of sixty days from the date of communication of the order.

(5) The State Government shall, on receipt of such representation and after consultation with the appropriate committee constituted under sub-paragraph (3), make such order, as it deems fit:

Provided that wherever such an order is likely to result in the change of allotment of any other person, no such order shall be made without giving an opportunity to that other person to make a representation.

(6) Every order passed by the State Government under sub-paragraph (5) shall, subject to the provisions of clause (3) of article 371-D of the Constitution of India, be final.

5. **Local cadres and transfer of persons.**—(1) Each part of the State, for which a local cadre has been organised in respect of any category of posts, shall be a separate unit for purposes of recruitment, appointment, discharge, seniority, promotion and transfer, and such other matters as may be specified by the State Government, in respect of that category of posts.

(2) Nothing in this Order shall prevent the State Government from making provision for—

(a) the transfer of a person from any local cadre to any Office or Establishment to which this Order does not apply, or *vice-versa;*

(b) the transfer of a person from a local cadre comprising posts in any Office or Establishment exercising territorial jurisdiction over a part of the State to any other local cadre comprising posts in such part, or *vice-versa;* and

(c) the transfer of a person from one local cadre to another local cadre where no qualified or suitable person is available in the latter cadre or where such transfer is otherwise considered necessary in the public interest.

6. **Local areas.**—(1) Each district shall be regarded as a local area:—

(i) for direct recruitment to posts in any local cadre under the State Government comprising all or any of the posts in any department in that district belonging to the category of a lower division clerk or to any other category equivalent to or lower than that of a lower division clerk;

(ii) for direct recruitment to posts in any cadre under any local authority within that district, carrying a scale of pay, the minimum of which does not exceed the minimum of the scale of pay of a lower division clerk or a fixed pay not exceeding that amount.

(2) Each zone shall be regarded as a local area—

(i) for direct recruitment to posts in any local cadre under the State Government comprising all or any of the posts in any department in that zone belonging to any non-gazetted category other than those referred to in sub-paragraph (1);

(ii) for direct recruitment to posts in any local cadre comprising all or any of the posts in any department in that zone belonging to the categories of Tahsildars and Junior Engineers;

(iii) for direct recruitment to posts in any cadre under any local authority within that zone, carrying a scale of pay, the minimum of which exceeds the minimum of the scale of pay of a lower division clerk but does not exceed Rs. 480 per mensem; or a fixed pay which exceeds the minimum of the scale of pay of a lower division clerk but does not exceed Rs. 480 per mensem:

Provided that where a single cadre has been organised for two or more zones under sub-paragraph (5) of paragraph 3 of posts belonging to any of the categories referred to in clause (i) or clause (ii) each of such zones shall be regarded as a separate local area in respect of such cadre.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-paragraphs (1) and (2),—

(i) the City of Hyderabad shall be regarded as a local area for direct recruitment to posts in any local cadre under the State Government comprising all or any of the posts in the said City in the departments and belonging to the categories notified under sub-paragraph (6) of paragraph 3, and the said City shall be excluded from the local area relatable to any other local cadre comprising posts in the departments and belonging to the categories so notified; and

(ii) the City of Hyderabad shall be regarded as a local area for direct recruitment to posts in any cadre under a local authority within the said City comprising posts carrying a scale of pay, the minimum of which does not exceed Rs. 480 per mensem or a fixed pay not exceeding that amount, and the said City shall be excluded from the local area relatable to any cadre under any local authority not within the said City.

7. **Local candidate.**—A candidate for direct recruitment to any post shall be regarded as a local candidate in relation to a local area—

(a) in cases where a minimum educational qualification has been prescribed for recruitment to the post—

(i) if he has studied in an educational institution or educational institutions in such local area for a period of not less than four consecutive academic years ending with the academic year in which he appeared or, as the case may be, first appeared for the relevant qualifying examination; or

(ii) where during the whole or any part of the four consecutive academic years ending with the academic year in which he appeared or as the case may be, first appeared for the relevant qualifying examination he has not studied in any educational institution, if he has resided in that local area for a period of not less than four years immediately preceding the date of commencement of the qualifying examination in which he appeared or as the case may be, first appeared.

(b) In cases where no minimum educational qualification has been prescribed for recruitment to the post, if he has resided in that local area for a

period of not less than four years immediately preceding the date on which the post is notified for recruitment.

Explanation.—For the purposes of this paragraph—

(i) 'educational institution means a University or any educational institution recognised by the State Government, a University or other competent authority;

(ii) 'relevant qualifying examination' in relation to a post means—

(A) the examination, a pass in which is the minimum educational qualification prescribed for the post;

(B) the Matriculation examination or an examination declared by the State Government to be equivalent to the Matriculation examination;

whichever is lower; and

(iii) in reckoning the consecutive academic years during which a candidate has studied, any period of interruption of his study by reason of his failure to pass any examination shall be disregarded.

8. **Reservation in the matter of direct recruitment.**—(1) 80 per cent of the posts to be filled by direct recruitment at any time—

(a) in any local cadre under the State Government comprising posts belonging to the category of a lower division clerk or a category equivalent to or lower than that of a lower division clerk; and

(b) in any cadre under a local authority comprising posts carrying a scale of pay, the minimum of which, or a fixed pay which, does not exceed the minimum of the scale of pay of a lower division clerk, shall be reserved in favour of local candidates in relation to the local area in respect of such cadre.

(2) 70 per cent of the posts to be filled by direct recruitment at any time—

(a) in any local cadre under the State Government comprising posts belonging to non-gazetted categories other than those referred to in item (a) of sub-paragraph (1); and

(b) in any cadre under a local authority comprising posts carrying a scale of pay, the minimum of which, or a fixed pay which exceeds the minimum of the scale of pay of a lower division clerk, but does not exceed Rs. 480 per mensem,

shall be reserved in favour of local candidates in relation to the local area in respect of such cadre.

(3) 60 per cent of the posts to be filled by direct recruitment at any time in any local cadre under the State Government comprising posts belonging to the categories of Tahsildars and Junior Engineers shall be reserved in favour of local candidates in relation to the local area in respect of such cadre.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (2) or sub-paragraph (3), where, in respect of any of the categories referred to in the said sub-paragraphs, a single cadre has been organised for two or more zones under sub-paragraph (5) of paragraph 3, 70 per cent, or as the case may be, 60 per cent of the posts to be filled by direct recruitment at any time in such cadre shall be reserved in favour of and allocated amongst the local candidates in relation to each of the local areas in respect of such cadre in the ratio specified in the Second Schedule against the zone comprising each such local area.

(5) 60 per cent of the posts under the State Government belonging to the category of Civil Assistant Surgeons to be filled by direct recruitment at any time shall be reserved in favour of and allocated amongst the local candidates in relation to the local area specified in column (1) of the Table below in the respective ratios specified in the corresponding entry in column (2) thereof.

THE TABLE

Local Area	Ratio
(1)	(2)
I. Districts of Srikakulam and Visakhapatnam.	13
II. Districts of East Godavari, West Godavari and Krishna.	18
III. Districts of Guntur, Prakasam and Nellore.	15
IV. Districts of Chittoor, Cuddapah, Anantapur and Kurnool.	18
V. Districts of Adilabad, Karimnagar, Warangal and Khammam.	15
VI. Districts of Hyderabad (excluding the City of Hyderabad), Nizamabad, Mahboobnagar, Medak and Nalgonda.	17
VII. City of Hyderabad.	4

(6) While determining under this paragraph the number of posts to be reserved in favour of local candidates any fraction of a post shall be counted as one.

(7) While allocating under sub-paragraph (4) or sub-paragraph (5) the reserved posts amongst the candidates in relation to different local areas fractions of a post shall be adjusted by counting successively the fractions in descending order of magnitude as one and where the fraction to be so counted cannot be selected by reason of the fractions being equal, the selection shall be by lot.

(8) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this paragraph—

(a) there shall be at least one post left unreserved out of the posts filled by direct recruitment at any time to any local cadre; and

(b) there shall be, as far as possible, at least one post allocated for the local candidates in respect of each local area.

9. **Carry forward of reserved posts.**—If a qualified local candidate in respect of a local area is not available to fill a post reserved or allocated in favour of a local candidate in respect of that local area, such post shall be carried forward for recruitment of a local candidate in respect of that local area for a period not exceeding three years:

Provided that pending recruitment of a local candidate, such post may be filled in temporarily by borrowing the services of a person holding a post of the same category in any other local cadre.

10. **Power to authorise issue of directions.**—(1) The President may, by order, require the State Government to issue such directions as may be necessary or expedient for the purpose of giving effect to this Order to any local authority and such local authority shall comply with such directions.

(2) The State Government may, for the purpose of issuing any direction under sub-paragraph (1) or for satisfying itself that any directions issued under sub-paragraph (1) have been complied with, require by order in writing any local authority to furnish them such information, report or particulars as may be specified in the order and such local authority shall comply with such order.

11. **Order to have over-riding effect.**—The provisions of this Order shall have effect notwithstanding anything contained in any Statute, Ordinance, rule, regulation or other order made before or after the commencement of this Order in respect of direct recruitment to posts under the State Government or any local authority.

12. **Removal of doubts.**—For the removal of doubts, it is hereby declared that nothing in this Order shall affect the operation of any provisions made by the State Government or other competent authority before or after the commencement of this Order in respect of reservation in the matter of appointments to

posts in favour of any backward classes of citizens, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in so far as such provisions are not inconsistent with this Order.

13. **Certain appointments and promotions to be provisional.**—Any appointment or promotion made after the commencement of this Order and before any local cadre has been organised under the provisions of this Order, to any post which is required to be included in such cadre shall be provisional and shall, within a period of twelve months after such organisation, be reviewed and readjusted in accordance with the provisions of this Order.

14. **Saving.**—Nothing in this Order shall apply to—

(a) any post in the Secretariat of the State Government;

(b) any post in an Office of the Head of a Department;

(c) any post in a special Office or Establishment;

(d) any post in a State-level office or institution;

(e) any post in a Major Development Project; and

(f) any post of Police Officer as defined in clause (b) of section 3 of the Hyderabad City Police Act, 1348 F.

The First Schedule

[*See* paragraph 2(1)(a)]

City of Hyderabad

(a) Hyderabad Municipal Corporation area—

(i) Hyderabad Division

(ii) Secunderabad Division

(b) Secunderabad Cantonment area

(c) Osmania University Campus

(d) Zamistanpur Village

(e) Fathenagar Panchayat area.

(f) Bowenpalle Panchayat area.

(g) Machabolaram Panchayat area.

(h) Lalaguda Village

(i) Malkajgiri Panchayat area.

(j) Uppal Khalsa Panchayat area.

(k) Alwal Panchayat area.

(l) Balanagar Panchayat area.

(m) Moosapet Panchayat area.

(n) Kukatpalle Panchayat area.

THE SECOND SCHEDULE

[*See* paragraphs 2(1)(m) and 8(4)]

Zones	Ratio
Zone I —Srikakulam and Visakhapatnam Districts.	12
Zone II —East Godavari, West Godavari and Krishna Districts.	18
Zone III —Guntur, Prakasam and Nellore Districts.	15
Zone IV —Chittoor, Cuddapah, Anantapur and Kurnool Districts.	18
Zone V —Adilabad, Karimnagar, Warangal and Khammam Districts.	15
Zone VI —Hyderabad, Nizamabad, Mahboobnagar, Medak and Nalgonda Districts.	22

THE THIRD SCHEDULE

[*See* paragraphs 2 (1) (j) and 3 (4)]

Specified Gazetted Categories

S. No.	Category	Name of the Department
(1)	(2)	(3)
1	District Public Relations Officers	Information and Public Relations Department.
2	Assistant Radio Engineers	Do.
3	Assistant Directors of Agriculture	Agriculture Department.
4	Assistant Directors, Marketing	Marketing Department.
5	Assistant Hydro Geologists	Ground Water Department.
6	Assistant Hydrologists	Do.
7	Deputy Registrars of Cooperative Societies	Cooperative Department.
8	Assistant Engineers	Public Health and Municipal Engineering Department.
9	Nursing Superintendents, Grade II	Medical and Health Services Department.
10	Nursing Tutors, Grade II	Do.
11	Unit Officers (N.S.E.P.)	Do.
12	Senior Entomologists	Do.
13	Lay—Secretaries and Treasurers, Grade II	Do.
14	Administrative Officers	Do.
15	Second Grade Municipal Commissioners	Municipal Administration Department.
16	Assistant Public Prosecutor, Grade I/Police Prosecuting Officers.	Revenue/Police Department.
17	Regional Transport Officers	Transport Department.
18	Tahsildars	Revenue Department.
19	Deputy Commercial Tax Officers	Commercial Taxes Department.
20	Assistant Directors	Settlements, Survey and Land Records Department.
21	Assistant Commissioners	Endowments Department.
22	Assistant Excise Superintendents	Excise Department.
23	Gazetted Inspectors of Schools, Head Masters and Head Mistresses.	Education Department.
24	Principals of Junior Colleges	Do.
25	Lecturers in Govt. Arts Colleges	Do.
26	Lecturers, Training Colleges	Do.
27	Deputy Secretaries (Edn.), Zilla Parishads	Do.
28	Lecturers in Polytechnics	Technical Education Department.
29	Principals of Industrial Training Institutes, other than of Industrial Training Institute, Hyderabad.	Employment and Training Department.
30	Assistant Engineers	Panchayat Raj Engineering Department.
31	Block Development Officers	Panchayat Raj Department.
32	District Panchayat Officers	Do.
33	Assistant Treasury Officers/Assistant Accounts Officers	Treasuries and Accounts Department.
34	Assistant Examiners of Local Fund Accounts	Do.

(1)	(2)	(3)
35	District Statistical Officers	Bureau of Economics and Statistics.
36	Assistant Directors of Industries	Industries Department.
37	Technical Officers (Rural Industries Project)	Do.
38	Planning-*cum*-Survey Officers (R.I.P.)	Do.
39	Technical Officers, (Half a Million Jobs Programme)	Do.
40	Junior Engineers	Public Works Department (Irrigation).
41	Assistant Engineers	Do.
42	Junior Engineers	Public Works Department. (R.&.B.).
43	Assistant Engineers	Do.
44	Junior Engineers	Port Department.
45	Assistant Eingeers	Do.
46	District Social Welfare Officers/ Social Service Officers	Social Welfare Department.
47	Women and Child Welfare Officers	Women and Child Welfare Department.
48	District Inspectors of labour including Inspectors of evaluation and implementation	Labour Department.
49	Veterinary Assistant Surgeons	Animal Husbandary Department
50	Assistant Directors of Fisheries	Fisheries Department.

[No. 3/1/74/Poll.(K)]

By order and in the name of the President.

गृह मंत्रालय

आदेश,

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 1975

आन्ध्र प्रदेश लोक नियोजन (स्थानीय काडरों का गठन और सीधी भर्ती का विनियमन) आदेश, 1975

सा० का० नि० 524(अ).—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371-घ के खण्ड (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आन्ध्र प्रदेश राज्य की बाबत निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम आन्ध्र प्रदेश लोक नियोजन (स्थानीय काडरों का गठन और सीधी भर्ती का विनियमन) आदेश, 1975 है ।

(2) इसका विस्तार समस्त आन्ध्र प्रदेश राज्य पर है ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. **निर्वचन.**—(1) इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "हैदराबाद नगर" से राज्य का वह भाग अभिप्रेत है जिसमें प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्र समाविष्ट हैं ·

(ख) "सीधी भर्ती" के अन्तर्गत अस्थायी तौर पर की गई भर्ती आती है किन्तु ऐसी भर्ती नहीं आती जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसी स्कीम के अनुसरण में की गई है जो इस आदेश के प्रारम्भ से पूर्व अस्थायी तौर पर पदधारण करने वाले व्यक्तियों की सेवाओं को नियमित करने की बाबत उपबन्धित करती है ;

(ग) किसी स्थानीय काडर के सम्बन्ध में "स्थानीय क्षेत्र" से ऐसा स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जो ऐसे स्थानीय काडर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए इस आदेश के पैरा 6 में विनिर्दिष्ट है और इसके अन्तर्गत सिविल सहायक सर्जनों के प्रवर्ग के पदों की बाबत, इस आदेश के पैरा 8 के उप-पैरा (5) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र भी आते हैं ;

(घ) "स्थानीय प्राधिकारी" के अन्तर्गत ऐसा कोई स्थानीय प्राधिकारी नहीं आता है जो राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन नहीं है ;

(ङ) "स्थानीय काडर" से राज्य सरकार के अधीन पदों का ऐसा स्थानीय काडर अभिप्रेत है जिसे राज्य किसी भाग के लिए इस आदेश के पैरा 3 के अनुसरण में संगठित किया गया है या अन्यथा गठित किया गया है ;

(च) "किसी स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में" स्थानीय अभ्यर्थी से ऐसा अभ्यर्थी अभिप्रेत है जो ऐसे स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में स्थानीय अभ्यर्थी के रूप में इस आदेश के पैरा 7 के अधीन अर्हित है ;

(छ) "मुख्य विकास परियोजना" से ऐसी विकास परियोजना अभिप्रेत है जिसकी लागत या प्राक्कलित लागत पांच करोड़ रुपये से अधिक है और जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया गया है ;

(ज) "अनुसूची" से इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(झ) "विशेष कार्यालय या स्थापन" से ऐसा कार्यालय या स्थापन अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस रूप में अभिसूचित किया गया है ;

(ञ) "विनिर्दिष्ट राजपत्रित प्रवर्ग" से ऐसा राजपत्रित प्रवर्ग अभिप्रेत है जो तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जिसके अन्तर्गत ऐसा अन्य राजपत्रित प्रवर्ग भी आता है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया गया है ;

(ट) "राज्य सरकार" से आन्ध्र प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;

(ठ) "राज्य स्तर का कार्यालय या संस्था" से सेवा करने वाला कार्यालय या संस्था अभिप्रेत है या जिसकी अधिकारिता समस्त राज्य पर विस्तारित होती है और जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया गया है ;

(ड) "जोन" से ऐसा जोन अभिप्रेत है जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जिसमें उसमें उल्लिखित राज्य-क्षेत्र समाविष्ट हैं ;

(2) इस आदेश के निर्वचन के लिए साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) वैसे ही लागू होगा जैसा कि वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

3. **स्थानीय काडरों का संगठन.**—(1) राज्य सरकार, इस आदेश के प्रारम्भ से बारह मास से अनधिक अवधि के भीतर राज्य की सिविल सेवाओं में पदों के वर्गों और उनके अधीन सिविल

पदों के वर्गों को राज्य के विभिन्न भागों की बाबत उस सीमा तक और ऐसी रीति से जो इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित है, विभिन्न स्थानीय काडरों में संगठित करेगी ।

(2) निम्न श्रेणी लिपिक प्रवर्ग के पद तथा उसके समतुल्य अन्य प्रवर्गों के प्रत्येक पद या निम्न श्रेणी लिपिक से निम्न पदों को प्रत्येक जिले के प्रत्येक विभाग में एक पृथक काडर में संगठित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण.—इस उप-पैरा, पैरा 6 के उप-पैरा (1) और पैरा 8 के उप-पैरा (1) के प्रयोजनार्थ किसी प्रवर्ग को निम्न श्रेणी लिपिक के समतुल्य या उस से निम्न उस दशा में समझा जाएगा जब कि उस प्रवर्ग के पद का वेतनमान या, जहां ऐसे पद के लिए नियत वेतन है, वहां ऐसा नियत वेतन, निम्न श्रेणी लिपिक के वेतनमान के न्यूनतम के समतुल्य है या उससे कम है ।

(3) प्रत्येक जोन के प्रत्येक विभाग में उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट पदों से भिन्न प्रत्येक अराजपत्रित प्रवर्ग के पदों को एक पृथक काडर में संगठित किया जाएगा ।

(4) प्रत्येक जोन के प्रत्येक विभाग में प्रत्येक विनिर्दिष्ट राजपत्रित प्रवर्ग को एक पृथक में संगठित किया जाएगा ।

(5) उप-पैरा (3) और (4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, जहां वह ऐसा करना समीचीन समझती है और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से दो या उससे अधिक लगे हुए जोनों की उसमें विनिर्दिष्ट किसी विभाग या उसके किसी स्थापन के किन्हीं प्रवर्गों के पदों को एकल काडर में संगठित कर सकेगी ।

(6) उप-पैरा (2), (3), (4) और (5) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार, उन विभागों को जिनमें और पदों के उन प्रवर्गों को जिनकी बाबत हैदराबाद नगर के लिए एक पृथक काडर संगठित किया जा रहा है, अधिसूचित कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के पश्चात् उक्त नगर (जो उससे भिन्न हैं जो उक्त नगर के बाहर के क्षेत्रों के प्रशासन से सम्बद्ध हैं) से ऐसे प्रत्येक विभाग के ऐसे प्रत्येक प्रवर्ग के पदों को एक पृथक काडर में संगठित किया जाएगा और इस प्रकार संगठित पदों को उन अन्य काडरों से उपवर्जित किया जाएगा जिन्हें इस पैरा के अनुसरण में संगठित किया गया था अन्यथा गठित किया गया है और जिनमें उस विभाग के उस प्रवर्ग के पद समाविष्ट हैं ।

(7) राज्य के किसी भाग के लिए किसी विभाग में पदों के किसी प्रवर्ग की बाबत पृथक काडर का संगठन करने में इस आदेश की किसी बात को ऐसा नहीं समझा जाएगा कि वह राज्य सरकार को राज्य के ऐसे भाग के लिए ऐसे विभाग में ऐसे प्रवर्ग के सम्बन्ध में एक से अधिक काडर का संगठन या उसको जारी रखने से निवारित करता है ।

(8) जहां केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि किसी विभाग में पदों के किसी अराजपत्रित प्रवर्ग की बाबत इस पैरा के अधीन स्थानीय काडर का संगठन करना साध्य या समीचीन नहीं है, वहां वह अधिसूचना द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकेगी और ऐसी घोषणा पर इस पैरा के उपबन्ध पदों के ऐसे प्रवर्ग को लागू नहीं होंगे ।

4. **व्यक्तियों का आबंटन.**—(1) उन व्यक्तियों को जो ऐसे पद धारण कर रहे हैं जिनका स्थानीय काडरों में संगठित किया जाना अपेक्षित है, राज्य सरकार या इसमें इसके पश्चात्

विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों और प्रक्रिया के अनुसार इस निमित्त इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा ऐसे काडरों को आबंटित किया जाएगा ।

(2) व्यक्तियों को स्थानीय काडरों में आबंटित करते समय निम्नलिखित सभी बातों या उनमें से किसी पर सम्यक् ध्यान देना, होगा, अर्थात् :—

(क) स्थानीय काडरों में पदों की प्रशासनिक आवश्यकताएं ;

(ख) आयु तथा ज्येष्ठता समूह के संदर्भ में संतुलित स्थानीय काडरों के गठन की आवश्यकता;

(ग) राज्य के उस भाग जिसके लिए स्थानीय काडर संगठित किया गया है, से सम्बद्ध व्यक्तियों की सेवा की अवधि ;

(घ) राज्य के उस भाग जिसके लिए स्थानीय काडर संगठित किया गया है, में बोली जाने वाली भाषाओं और प्रवत्न विधि के बारे में सम्बद्ध व्यक्तियों का ज्ञान ;

(ङ) जहां संभव हो वहां किसी स्थानीय काडर में आबंटन के लिए सम्बद्ध व्यक्तियों का अधिमान ।

(3) राज्य सरकार, विभिन्न विभागों और पदों के विभिन्न प्रवर्गों की बाबत स्थानीय काडरों के व्यक्तियों के आबंटन के बारे में सलाह देने के लिए समितियां गठित कर सकेगी ।

(4) ऐसा व्यक्ति, जो ऐसे किसी आदेश द्वारा व्यथित है जिससे उसको किसी स्थानीय काडर में आबंटित किया गया है, आदेश की सूचना की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर राज्य सरकार को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगी ।

(5) राज्य सरकार, ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति पर तथा उपपैरा (3) के अधीन गठित समुचित समिति से सलाह करने के पश्चात् एक ऐसा आदेश कर सकेगी जो वह ठीक समझती है :

परन्तु जहां कहीं ऐसे आदेश में किसी अन्य व्यक्ति के आबंटन में परिवर्तन होता है, वहां ऐसा आदेश उस अन्य व्यक्ति को अभ्यावेदन करने का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा ।

(6) उप-पैरा (5) के अधीन राज्य सरकार द्वारा पारित प्रत्येक आदेश, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371—घ के खण्ड (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा ।

5. **स्थानीय काडर और व्यक्तियों का स्थानान्तरण.**—(1) राज्य का प्रत्येक भाग, जिसके लिए पदों के किसी प्रवर्ग की बाबत एक स्थानीय काडर संगठित किया गया है, पदों के उस प्रवर्ग की बाबत भर्ती, नियुक्ति, सेवोन्मुक्ति, ज्येष्ठता, प्रोन्नति और स्थानान्तरण और ऐसी अन्य बातें जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, के प्रयोजनों के लिए एक पृथक यूनिट होगा ।

(2) इस आदेश की कोई बात राज्य सरकार को निम्नलिखित के लिए उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी —

(क) किसी स्थानीय काडर से किसी व्यक्ति का स्थानान्तरण ऐसे कार्यालय या स्थापन को जिसको यह आदेश लागू नहीं होता है, या विलोमतः;

(ख) किसी कार्यालय या स्थापन जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता राज्य के किसी भाग पर है, में समाविष्ट होने वाले पदों के स्थानीय काडर से किसी व्यक्ति का स्थानान्तरण किसी अन्य ऐसे स्थानीय काडर को जिसमें ऐसे भाग में पद समाविष्ट हैं, या विलोमतः; और

(ग) जहां कोई अर्हित या उचित व्यक्ति किसी अन्य स्थानीय काडर में उपलभ्य नहीं है या जहां ऐसा स्थानान्तरण लोकहित में अन्यथा आवश्यक समझा जाता है, वहां किसी व्यक्ति का स्थानान्तरण एक स्थानीय काडर से दूसरे स्थानीय काडर को ।

6. **स्थानीय क्षेत्र.**—(1) प्रत्येक जिले को निम्नलिखित के लिए एक स्थानीय क्षेत्र के रूप में माना जाएगा—

(i) राज्य सरकार के अधीन किसी स्थानीय काडर जिसमें उस जिले के किसी विभाग में निम्न श्रेणी लिपिक या उसके समतुल्य किसी अन्य प्रवर्ग या निम्न श्रेणी लिपिक से निम्न प्रवर्ग के सभी या कोई पद समाविष्ट हैं, में पदों पर सीधी भर्ती के लिए ;

(ii) उस जिले के भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी काडर, जिसका न्यूनतम वेतनमान निम्न श्रेणी लिपिक के वेतनमान के न्यूनतम से अधिक नहीं है या नियत वेतन के अधिकतम से अधिक नहीं है, में पदों पर सीधी भर्ती के लिए ।

(2) प्रत्येक जोन को निम्नलिखित के लिए एक स्थानीय क्षेत्र माना जाएगा —

(i) राज्य सरकार के अधीन किसी स्थानीय काडर जिसमें उस जोन के किसी विभाग में उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट पदों से भिन्न अराजपत्रित प्रवर्ग के सभी या कुछ पद समाविष्ट हैं, में पदों पर सीधी भर्ती के लिए ;

(ii) किसी स्थानीय काडर जिसमें उस जोन के किसी विभाग में तहसीलदार और कनिष्ठ इंजीनियरों के प्रवर्गों के सभी या कुछ पद समाविष्ट हैं, में पदों पर सीधी भर्ती के लिए ;

(iii) उस जोन के भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी काडर के पदों, जिनका ऐसा वेतनमान है जिसका न्यूनतम निम्न श्रेणी लिपिक के वेतनमान से अधिक है किन्तु 480 रू० प्रतिमास से अधिक नहीं है या ऐसा नियत वेतन है जो निम्न श्रेणी लिपिक के वेतनमान के न्यूनतम से अधिक है किन्तु 480 रू० प्रतिमास से अधिक नहीं है, पर सीधी भर्ती के लिए ।

परन्तु जहां खण्ड (i) या खण्ड (ii) में निर्दिष्ट किन्हीं प्रवर्गों के पदों की बाबत पैरा 3 के उप-पैरा (3) के अधीन दो या अधिक जोनों के लिए एकल काडर संगठित किया गया है, वहां ऐसे जोनों में से प्रत्येक को उस काडर की बाबत एक पृथक स्थानीय क्षेत्र माना जाएगा ।

(3) उप-पैरा (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, —

(i) राज्य सरकार के अधीन किसी स्थानीय काडर के पदों, जिनमें हैदराबाद नगर के सभी विभागों के सभी या कुछ पद समाविष्ट हैं और जो पैरा 3 के उपपैरा (6) के अधीन अधिसूचित प्रवर्ग के हैं, पर सीधी भर्ती के लिए उक्त नगर का किसी अन्य स्थानीय काडर, जिसमें उन विभागों के पद समाविष्ट हैं, जो इस प्रकार अधि-सूचित प्रवर्गों के हैं, से अपवर्जित कर दिया जाएगा और इसे स्थानीय क्षेत्र के रूप में माना जाएगा ; और

(ii) उक्त नगर के भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी काडर में के पदों, जिनमें ऐसे पद समाविष्ट हैं जिसका वेतनमान ऐसा है जिसका न्यूनतम 480 रु० प्रतिमास से अधिक नहीं है या नियत वेतन जो उस रकम से अधिक नहीं है, पर सीधी भर्ती के लिए हैदराबाद नगर को एक स्थानीय क्षेत्र माना जाएगा और उक्त नगर को उस स्थानीय क्षेत्र से अपवर्जित किया जाएगा जो किसी प्राधिकारी के अधीन किसी काडर के सम्बन्ध में हैं और उक्त नगर के भीतर नहीं है ।

7. **स्थानीय अभ्यार्थी**.—किसी स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का स्थानीय अभ्यार्थी निम्न दशाओं में माना जाएगा :

(क) ऐसे मामलों में जहां पद पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं विहित की गई हैं:—

(i) जब कि, यथास्थिति ऐसे स्थानीय क्षेत्र में उसने उस शैक्षिक वर्ष, जिसमें वह, यथास्थिति, परीक्षा में बैठा है, को समाप्त, होने वाली चार क्रमिक शैक्षिक वर्षों से अन्यून अवधि के लिए किसी शैक्षिक संस्था या शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययन किया है या सुसंगत अर्हक परीक्षा में वह पहले बैठा है ; या

(ii) उस शैक्षिक वर्ष जिसमें, यथास्थिति, वह परीक्षा में बैठा है या सुसंगत अर्हक परीक्षा में वह पहले बैठा है, को समाप्त होने वाले चार क्रमिक शैक्षिक वर्षों के सम्पूर्ण या किसी भाग के दौरान उसने किसी शैक्षिक संस्था में अध्ययन नहीं किया है, तब यदि उसने, यथास्थिति, अर्हक परीक्षा जिसमें वह बैठा है या पहले बैठा है के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती चार वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए उस स्थानीय क्षेत्र में निवास किया है ;

(ख) उन मामलों में जहां पद पर भर्ती के लिए, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता विहित नहीं की की गई,है , यदि उस स्थानीय क्षेत्र में उस तारीख जिसको भर्ती के लिए पद अधि-सूचित किया गया है, से ठीक पूर्ववर्ती चार वर्ष से अन्यून की अवधि पर्यन्त उसने निवास किया है ।

स्पष्टीकरण.— इस पैरा के प्रयोजनार्थ :—

(i) शैक्षिक संस्था से ऐसा विश्वविद्यालय या कोई शैक्षिक संस्था अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार, किसी विश्वविद्यालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता दी गई हो ;

(ii) किसी पद के सम्बन्ध में सुसंगत अर्हक परीक्षा से (क) ऐसा परीक्षा, जिसमें उतीर्ण होना उस पद के लिए विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है या (ख) मैट्रिक परीक्षा या ऐसी परीक्षा जिसे राज्य सरकार द्वारा मैट्रिक परीक्षा के समतुल्य घोषित किया गया है, जो भी निम्नतर, है, अभिप्रेत है; और

(iii) उन चार क्रमवर्ती वर्षों, जिनके दौरान अभ्यर्थी ने अध्ययन किया है, की गणना करने में उसके अध्ययन में परीक्षा उतीर्ण न करने के कारण हुई अवरोधन की अवधि को गणना में नही लिया जाएगा ।

8. **सीधी भर्ती के मामलों में आरक्षण**.—(1) कुल पदों का अस्सी प्रतिशत किसी भी समय निम्नलिखित के रुप में सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा :—

(क) राज्य सरकार के अधीन किसी स्थानीय काडर, जिसमें निम्न श्रेणी लिपिक या उसके समतुल्य प्रवर्ग या निम्न श्रेणी लिपिक से निम्न प्रवर्ग के पद समाविष्ट हैं; और

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी काडर, जिसमें ऐसे पद समाविष्ट हैं जिनका वेतनमान ऐसा है जिसका न्यूनतम या नियत वेतन निम्न श्रेणी लिपिक के वेतनमान के न्यूनतम से अधिक नहीं है, में पद स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में ऐसे काडर की बाबत स्थानीय अभ्यार्थियों के हक में आरक्षित होंगे ।

(2) कुल पदों के सत्तर प्रतिशत पद किसी भी समय निम्नलिखित के रूप में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे,—

(क) स्थानीय सरकार के अधीन किसी स्थानीय काडर, जिससें उप-परा (1) के मद (क) में निर्दिष्ट प्रवर्गों से भिन्न अराजपत्रित प्रवर्ग के पद समाविष्ट हैं में; और

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी काडर, जिसमें ऐसे पद समाविष्ट हैं जिनका वेतनमान ऐसा है जिसका न्यूनतम या नियत वेतन निम्न श्रेणी लिपिक के वेतनमान के न्यूनतम से अधिक किन्तु 480/— प्रतिमास से अधिक नहीं है, में पद उस स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में ऐसे काडर की बाबत स्थानीय अभ्यर्थियों के हक में आरक्षित होंगे ।

(3) राज्य सरकार के अधीन किसी स्थानीय काडर, जिसमें तहसीलदार और कनिष्ठ इंजीनियर के प्रवर्ग के पद समाविष्ट हैं, में किसी भी समय सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के साठ प्रतिशत पद उस स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में ऐसे काडर की बाबत स्थानीय अभ्यर्थियों के हक में आरक्षित किए जाएंगे ।

(4) उप-पैरा (2) या उप-पैरा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां उक्त उप-पैराओं में निर्दिष्ट प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग की बाबत पैरा 3 के उप-पैरा (5) के अधीन दो या अधिक जोनों के लिए एकल काडर संगठित किया गया है, वहां किसी भी समय ऐसे काडर में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाले पदों के, यथास्थिति, सत्तर प्रतिशत या साठ प्रतिशत प्रत्येक स्थानीय क्षेत्रों से संबंधित स्थानीय अभ्यर्थियों के हक में उस काडर की बाबत ऐसे अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे और आवंटित किए जाएंगे जो ऐसे प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र को समाविष्ट करने वाले जोन के सामने द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ।

(5) किसी भी समय सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले सिविल सहायक सर्जनों के प्रवर्ग के राज्य सरकार के अधीन पदों के साठ प्रतिशत ऐसे स्थानीय क्षेत्र जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट है, से संबंधित स्थानीय अभ्यर्थियों से ऐसे क्रमिक अनुपातों में आरक्षित और आवंटित किए जाएंगे जो उसके स्तम्भ (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं ।

सारणी

स्थानीय क्षेत्र (1)	अनुपात (2)
I. श्रीकाकुलम और विशाखापतनम के जिले	13
II. पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा के जिले	18
III. गन्तूर, प्रकाशम और नेल्लोर के जिले	15
IV. चित्तूर, कुड्डापाह, अबन्तपुर और करनूल के जिले	18
V. आदिलाबाद, करीमनगर, वारंगल और खम्माम के जिले	15
VI. हैदराबाद (हैदराबाद नगर को आवर्जित करते हुए), निजामाबाद, महबूबनगर, मेडक और नालगोंडा के जिले	17
VII. हैदराबाद नगर	4

(6) इस परा के अधीन स्थानीय अभ्यर्थियों के हक में आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या अवधारित करते समय पद के किसी अंश को पूरा माना जाएगा।

(7) विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों के आपस में, उप-पैरा (4) या उप-पैरा (5) के अधीन आरक्षित पदों का आवंटन करते समय किसी पद के अंशों का समायोजन परिगणन में अवरोही क्रम के अंशों को अनुक्रमता गणना, एक के रूप में करते हुए, की जाएगी और जहां गणना में लिया जाने वाला अंश का चयन इस कारण नहीं किया जा सकता है कि अंश बराबर हैं, वहां चयन प्रचय द्वारा किया जाएगा।

(8) इस पैरा के पूर्वगामी उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

(क) किसी स्थानीय कैडर के लिए किसी समय सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पदों में से कम से कम 1 पद अनारक्षित रहने दिया जाएगा ; और

(ख) प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र की बाबत स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए कम से कम, यथासंभव, एक पद आवंटित किया जाएगा।

9. **आरक्षित पदों का अग्रनयन.**—यदि किसी स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई अर्हित स्थानीय अभ्यर्थी उस स्थानीय क्षेत्र की बात किसी स्थानीय अभ्यर्थी के हक में आरक्षित या आवंटित पद भरने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे पद को उस स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में स्थानीय अभ्यर्थी की भर्ती के लिए तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए अग्रनीत किया जाएगा :

परन्तु किसी स्थानीय अभ्यर्थी की भर्ती के लिए लंबित रहने के दौरान ऐसे पद को अस्थायी रूप से किसी अन्य स्थानीय काडर में वैसे ही प्रवर्ग का पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति की सेवाएं उधार लेकर भरा जा सकेगा।

10. **निदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति.**—(1) राष्ट्रपति, आदेश द्वारा राज्य सरकार से ऐसे निदेश, जो इस आदेश को प्रभावी करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक या समीचीन हों, किसी स्थानीय प्राधिकारी को जारी करने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसा स्थानीय प्राधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

(2) राज्य सरकार, उप-पैरा (1) के अधीन निदेश जारी करने के प्रयोजनार्थ या अपना यह समाधान करने के लिए उप-पैरा (1) के अधीन जारी किए गए किन्हीं निदेशों का अनुपालन किया गया है, एक लिखित आदेश द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसी जानकारी, रिपोर्ट या विशिष्टियां जो इस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, दे और ऐसा स्थानीय प्राधिकारी ऐसे आदेश का अनुपालन करेगा।

11. **आदेश का अध्यारोही प्रभाव होना.**—राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन पदों पर सीधी भर्ती की बाबत इस आदेश के प्रारम्भ से पूर्व या उसके पश्चात् बनाए गए किसी कानून, अध्यादेश, नियम, विनियम या अन्य आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस आदेश के उपबन्धों का अध्यारोही प्रभाव होगा।

12. **शंकाओं का निराकरण.**—शंकाओं के निराकरण के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस आदेश की कोई भी बात ऐसे किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन पर वहां तक प्रभाव नहीं डालेगी जो राज्य सरकार या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आदेश के प्रारम्भ के पूर्व या के पश्चात किन्हीं पिछड़े वर्गों के नागरिकों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हक में पदों पर नियुक्तियों के विषय में आरक्षण की बाबत बनाए गए हों, जहां तक ऐसे उपबन्ध इस आदेश से सुसंगत नहीं हैं।

13. **कतिपय नियुक्तियां और प्रोन्नतियां अनन्तिम होंगी.**—इस आदेश के प्रारम्भ के पश्चात और इस आदेश के उपबन्धों के अधीन किसी स्थानीय काडर का गठन किए जाने के पूर्व, किसी ऐसे पद पर जिसका ऐसे काडर में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है, की गई कोई भी नियुक्ति या प्रोन्नति अनन्तिम होगी और ऐसे गठन के तुरन्त पश्चात इस आदेश के उपबन्ध अनुसार इसका पुनर्विलोकन और पुनर्समायोजन किया जाएगा।

14. **व्यावृत्तियां.**—इस आदेश की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी :

(क) राज्य सरकार के सचिवालय का कोई पद ;

(ख) विभागाध्यक्ष के कार्यालय का कोई पद ;

(ग) विशेष कार्यालय का स्थापन का कोई पद ;

(घ) राज्य स्तर के कार्यालय या संस्था का कोई पद ;

(ङ) किसी प्रमुख विकास परियोजना में कोई पद; और

(च) हैदराबाद सिटी पुलिस एक्ट, 1348 एक की धारा 3 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित पुलिस अधिकारी का कोई पद।

प्रथम अनुसूची

[पैरा 2(1)(क) देखिए]

हैदराबाद नगर

(क) हैदराबाद नगर निगम क्षेत्र :—

(i) हैदराबाद खंड

(ii) सिकन्दराबाद खंड

(ख) सिकन्दराबाद छावनी क्षेत्र

(ग) उस्मानिया विश्वविद्यालय निवेश

(घ) जमिस्तानपुर ग्राम

(ङ) फत्ते नगर	पंचायत क्षेत्र
(च) बोवेनपल्ले	पंचायत क्षेत्र
(छ) मेकवोलारम	पंचायत क्षेत्र
(ज) लालागुडा ग्राम	
(झ) नलकाजगिरी	पंचायत क्षेत्र
(ञ) उप्पल खालसा	पंचायत क्षेत्र
(ट) अलवल	पंचायत क्षेत्र
(ठ) बालानगर	पंचायत क्षेत्र
(ड) मूसापेट	पंचायत क्षेत्र
(ढ) बुकातपल्ले	पंचायत क्षेत्र

नागरिक प्रास्थिति अभी अवधारित नहीं हुई है ।

द्वितीय अनुसूची

[पैरा 2(1)(ङ) और 8(4) देखिए]

जोन		अनुपात
जोन I	श्रीकाकुलम् और विशाखापत्तनम् जिले . . .	12
जोन II	पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा जिले . . .	18
जोन III	गुंटूर, प्रकाशम् और नेल्लोर जिले	15
जोन IV	चित्तूर, कुडुपाह, अनन्तपुर और करनूल जिले . . .	18
जोन V	आदिलाबाद, करीमनगर, वारंगल और खम्माम जिले . .	15
जोन VI	हैदराबाद, निजामाबाद, महबूबनगर, मेडक और नलगोण्डा जिले .	22

तृतीय अनुसूची

[पैरा 2(1)(ञ) और 3(4) देखिए]

विनिर्दिष्ट राजपत्रित प्रवर्ग

क्रम सं० (1)	प्रवर्ग (2)	विभाग का नाम (3)
1	जिला जन सम्पर्क अधिकारी	सूचना और जन सम्पर्क विभाग
2	सहायक रेडियो इंजीनियर	यथोक्त
3	सहायक कृषि निदेशक	कृषि विभाग
4	सहायक विपणन निदेशक	विपणन विभाग
5	सहायक-जल-भूवैज्ञानिक	भूमिगत जल विभाग
6	सहायक जल विज्ञानी	यथोक्त
7	उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी	सहकारिता विभाग
8	सहायक इंजीनियर	लोक स्वास्थ्य और नगरपालिक इंजीनियरी विभाग
9	उपचर्या अधीक्षक, श्रेणी II	चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा विभाग
10	उपचर्या ट्यूटर, श्रेणी II	यथोक्त
11	यूनिट अधिकारी (एन० एस० ई० पी०)	यथोक्त
12	ज्येष्ठ कीट विज्ञानी	यथोक्त
13	ले-सचिव और कोषपाल, श्रेणी 2	यथोक्त
14	प्रशासनिक अधिकारी	यथोक्त
15	नगरपालिक आयुक्त, द्वितीय श्रेणी	नगरपालिक प्रशासन विभाग
16	सहायक लोक अभियोजक, श्रेणी I पुलिस अभियोजन अधिकारी	राजस्व/पुलिस विभाग
17	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	परिवहन विभाग
18	तहसीलदार	राजस्व विभाग
19	उप-वाणिज्यिक कर अधिकारी	वाणिज्यिक कर विभाग

(1)	(2)	(3)
20	सहायक निदेशक	व्यवस्थापन, सर्वेक्षण और भू-अभिलेख विभाग
21	सहायक आयुक्त	विन्यास विभाग
22	सहायक उत्पाद-शुल्क अधीक्षक . .	उत्पाद-शुल्क विभाग
23	राजपत्रित विद्यालय निरीक्षक, प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापिकाएं . . .	शिक्षा विभाग
24	प्रधानाचार्य, जूनियर महाविद्यालय .	यथोक्त
25	प्राध्यापक, राजकीय कला महाविद्यालय .	यथोक्त
26	प्राध्यापक, प्रशिक्षण महाविद्यालय . .	यथोक्त
27	उप सचिव (शिक्षा) जिला परिषद् . .	यथोक्त
28	प्राध्यापक, पौलीटैक्नीक . . .	तकनीकी शिक्षा विभाग
29	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद से भिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य .	रोजगार और प्रशिक्षण विभाग
30	सहायक इंजीनियर	पंचायत राज इंजीनियरी विभाग
31	खंड विकास अधिकारी . . .	पंचायत राज विभाग
32	जिला पंचायत अधिकारी . . .	यथोक्त
33	सहायक खजाना अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी	खजाना और लेखा विभाग
34	स्थानीय निधि लेखाओं के सहायक परीक्षक .	यथोक्त
35	जिला सांख्यिकी अधिकारी . . .	अर्थ और सांख्यिकी ब्यूरो
36	सहायक निदेशक, उद्योग . . .	उद्योग विभाग
37	तकनीकी अधिकारी (ग्रामीण उद्योग परियोजना) .	यथोक्त
38	योजना एवं सर्वेक्षण अधिकारी (आर०आई०पी०)	यथोक्त
39	तकनीकी अधिकारी, (हाफ ए मिलियन जौब प्रोग्राम)	यथोक्त
40	कनिष्ठ इंजीनियर	लोक निर्माण विभाग (सिंचाई)
41	सहायक इंजीनियर . . .	यथोक्त
42	कनिष्ठ इंजीनियर	लोक निर्माण विभाग (आर एण्ड बी)

(1)	(2)	(3)
43	सहायक इंजीनियर . . .	यथोक्त
44	कनिष्ठ इंजीनियर . . .	पत्तन विभाग
45	सहायक इंजीनियर . . .	यथोक्त
46	जिला समाज कल्याण अधिकारी/समाजसेवा अधिकारी	समाज कल्याण विभाग
47	महिला और बाल कल्याण, अधिकारी . .	महिला और बाल कल्याण विभाग
48	जिला श्रम निरीक्षक, जिसमें मूल्यांकक और कार्यान्वयन निरीक्षक भी सम्मिलित हैं . . .	श्रम विभाग
49	पशु-चिकित्सा सहायक सर्जन . . .	पशु पालन विभाग
50	सहायक निदेशक, मत्स्य उद्योग . .	मत्स्य उद्योग विभाग

राष्ट्रपति के आदेश और नाम से ।

[सं० 3/1/74-पोल (के)]

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 18th October 1975

G.S.R. 525 (E).—In pursuance of clause (g) of sub-paragraph (1) of paragraph 2 of the Andhra Pradesh Public Employment (Organisation of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment) Order, 1975, the Central Government hereby notifies the following as Major Development Projects for the purposes of the said Order namely :—

Sl. No.	Name of the Major Development Project
1.	Vamsadhara Project.
2.	Godavari Barrage Project.
3.	Tungabhadra Project High Level Canal Scheme, Stage-I.
4.	Tungabhadra Project High Level Canal Scheme, Stage-II.
5.	Kaddam Project.
6.	Improvements to Nizamsagar Project.
7.	Pochampad Project.
8.	Nagarjunasagar Project including offices of the Deputy Chief Accounts Officer.
9.	Srisailam Project.
10.	Krishna, Godavari Delta Drainage Scheme.
11.	Manjeera Water Supply Scheme, Second Phase.

[No. 3/1/74-Poll (K)]

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 1975

सा०का०नि० 525 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आन्ध्र प्रदेश लोक नियोजन (स्थानीय काडरों का गठन और सीधी भर्ती का विनियमन) आदेश, 1975 के पैरा 2 के उप-पैरा (1) के खण्ड (छ) के अनुसरण में उक्त आदेश के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को प्रमुख विकास परियोजनाओं के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

क्रम संख्या	प्रमुख विकास परियोजना का नाम
1	रामसागर परियोजना
2	गोदावरी बैरेज परियोजना
3	तुंगभद्रा परियोजना हाई लैवल कैनाल स्कीम, स्टेज–1
4	तुंगभद्रा परियोजना हाई लैवल कैनाल स्कीम, स्टेज–2
5	कद्दम परियोजना
6	निज़ामसागर परियोजना सुधार
7	पोचमपाद परियोजना
8	नागार्जुनसागर परियोजना, जिसमें, उप मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यालय भी सम्मिलित हैं ।
9	श्री शैलम परियोजना ।
10	कृष्णा, गोदावरी डेल्टा जलनिकास स्कीम
11	मंजीरा जल प्रदाय स्कीम, द्वितीय चरण ।

[सं० 3/1/74-पौल (के)]

G.S.R. 526(E).—In pursuance of clause (i) of sub-paragraph (1) of paragraph 2 of the Andhra Pradesh Public Employment (Organisation of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment) Order, 1975, the Central Government hereby notifies the following as Special Offices or Establishments for the purposes of the said Order namely :—

S. No.	Name of the Special Office or Establishment	Department to which it belongs
(1)	(2)	(3)
1	Anti-corruption Bureau	Anti-corruption Bureau.
2	Offices of Assistant Directors of Agriculture (Mobile Soil Testing)	Agriculture Department.
3	Office of and Offices under the Chief Rationing Officer, Hyderabad.	Civil Supplies Department.
4	Vigilance Cell (Civil Supplies)	Vigilance Cell (Civil Supplies) Department.
5	Railway Police	Police Department.
6	Police Communications Organisation	Do.
7	Flying Squads	Transport Department.
8	Mobile Survey Parties	Settlements, Survey and Land Records Department.
9	Traverse Survey Party, Hyderabad	Do.
10	Flying Squads	Excise Department.
11	Offices of Assistant Excise Superintendents, Distilleries.	Do.
12	Flying Squads	Commercial Taxes Department.
13	Investigation Circles	Public Works (Roads and Buildings) Department.
14	Mechanical and Workshops Circles	Public Works (Irrigation) Department.
15	Major and Medium Projects Investigation Circles	Do.
16	Coffee Circle, Visakhapatnam	Forest Department.
17	State Silviculturist Divisions	Do.
18	Working Plan Divisions	Do.
19	Flying Squads	Do.
20	Rigs Divisions	Panchayat Raj, Engineering Department.

[No. 3/1/74-Poll.(K)]

सा० का० नि० 526(अ).—केन्द्रीय सरकार, आन्ध्र प्रदेश लोक नियोजन (स्थानीय काडरों का गठन और सीधी भर्ती का विनियमन) आदेश, 1975 के पैरा 2 के उप-पैरा (1) के खण्ड (अ) के अनुसरण में इस आदेश के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को विशेष कार्यालय या स्थापन के रूप में अधिसूचित करती है; अर्थात् :—

क्रम सं०	विशेष कार्यालय या स्थापन का नाम	वह विभाग जिससे उसका संबंध है
(1)	(2)	(3)
1	भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो	भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो
2	कार्यालय, सहायक निदेशक, कृषि (चल मृदा परीक्षण)	कृषि विभाग
3	मुख्य राशनिंग अधिकारी का कार्यालय हैदराबाद और उसके अधीन कार्यालय	नागरिक पूर्ति विभाग
4	सतर्कता सेल (नागरिक पूर्ति)	सतर्कता सेल (नागरिक पूर्ति)
5	रेल पुलिस	पुलिस विभाग
6	पुलिस संचार संगठन	यथोक्त
7	उड़नदस्ता	परिवहन विभाग
8	चल सर्वेक्षण दल	व्यवस्थापन, सर्वेक्षण और भू-अभिलेख विभाग
9	चंक्रम सर्वेक्षण दल, हैदराबाद	यथोक्त
10	उड़न दस्ता	उत्पाद-शुल्क विभाग
11	सहायक उत्पाद-शुल्क अधीक्षक, (आसवनी) के कार्यालय	यथोक्त
12	उड़नदस्ता	वाणिज्य कर विभाग
13	अन्वेषण सर्किल	लोक निर्माण (सड़क और भवन) विभाग

1	2	3
14	यांत्रिकी और कर्मशाला सर्किल	लोक निर्माण (सिंचाई) विभाग
15	प्रमुख और मध्यम परियोजना अन्वेषण सर्किल	यथोक्त
16	काफी सर्किल, विशाखापत्तनम	वन विभाग
17	राज्य वनवर्द्धक खंड	यथोक्त
18	कार्य-योजना खण्ड	यथोक्त
19	उड़न दस्ता	यथोक्त
20	रिंग खण्ड	पंचायत राज इंजीनियरी विभाग

[सं० 31/1/74-पौल (के)]

G.S.R. 527(E).—In pursuance of clause (1) of sub-paragraph (1) of paragraph 2 of the Andhra Pradesh Public Employment (Organisation of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment) Order, 1975, the Central Government hereby notifies the following as State-level Offices of Institutions for the purposes of the said Order, namely :—

S. No.	Name of the State-level office or institution	Department to which it belongs
(1)	(2)	(3)
1	State Institute of Plant Protection and Pest Surveillance.	Agriculture Department.
2	Office of the Deputy Director of Agriculture (Pesticides Analysis) Rajendranagar.	Do.
3	Office of the Deputy Director of Agriculture (Soil Correlator) Hyderabad.	Do.
4	Office of the Deputy Director of Agriculture (Project Officer, Tobacco), Guntur.	Do.

(1)	(2)	(3)
5	Office of the Deputy Director of Agriculture (Sugar Cane Development), Anakapalli.	Agriculture Department.
6	Office of the Deputy Director of Agriculture Seed Certification) Hyderabad.	Do.
7	Office of the Assistant Director of Agriculture (Coconut Development), Rajahmundry.	Do.
8	Office of the Assistant Director of Agriculture (Seed Testing), Rajendranagar.	Do.
9	Office of the Assistant Director of Agriculture (Fertilizers), Madras.	Do.
10	Office of the Joint Director of Agriculture (Projects), Hyderabad.	Do.
11	Institute of Preventive Medicine including State Drug Laboratory and Government Analyst Organisation, Hyderabad.	Medical and Health Services Department.
12	College of Nursing, Hyderabad . . .	Do.
13	Dental Wing of Osmania Medical College, Hyderabad.	Do.
14	Radium Institute and Cancer Hospital, Hyderabad.	Do.
15	State Health Museum, Hyderabad . . .	Do.
16	Nizamia Tibbi College and Hospital, Hyderabad.	Indian Medicine and Homeopathy Department.
17	Police Training College, Anantapur . .	Police Department.
18	Office of the Deputy Inspector General of Police, Intelligence, Hyderabad.	Do.
19	Office of the Deputy Inspector General of Police, Railways, Crime and Training, Hyderabad.	Do.
20	Police Transport Organisation . . .	Do.
21	Office of the Director, Police Communications, Hyderabad.	Do.
22	Forensic Science Laboratory, Hyderabad . .	Do.
23	Offices of the Law Officers viz. Advocate General, Government Pleaders and Public Prosecutor, High Court of Andhra Pradesh.	Judicial Department.
24	Office of the Administrator General and Official Trustee, High Court of Andhra Pradesh.	Do.
25	Office of the Editor, L.L.R. (A.P.) Series, Hyderabad.	Judicial Department.
26	All Government Printing Presses . . .	Printing, Stationery and Stores Purchase Department.
27	Office of the Director of Distilleries, Hyderabad	Excise Department.
28	Central Survey Office, Hyderabad . . .	Settlements, Survey and Land Records Department.

(1)	(2)	(3)
29	Government College of Physical Education, Hyderabad.	Education Department.
30	Office of the Inspectress of Physical Education, Hyderabad.	Do.
31	State Central Library, Hyderabad . . .	Public Libraries Department.
32	State Institute of Community Development and Panchayati Raj, Rajendranagar.	Panchayati Raj Department.
33	Andhra Pradesh Engineering Research Laboratories, Hyderabad.	Public Works Department (Irrigation).
34	Institute of Industrial Safety and Productivity Centre, Hyderabad.	Factories and Boilers Department.
35	Forest School, Yellandu	Forest Department.
36	Research and Development Circle, Hyderabad	Do.
37	Project Formulation Circle, (including Forest Utilisation Office), Hyderabad.	Do.
38	State Trading Circle, Hyderabad. . .	Do.
39	Fisheries Training Institute, Kakinada	Fisheries Department.
40	Veterinary Biological and Research Institute, Hyderabad.	Animal Husbandry Department
41	Office of the Deputy Director, Animal Husbandry (Poultry), Hyderabad.	Do.
42	Office of the Sheep and Goat Development Officer, Hyderabad.	Animal Husbandry Department.
43	Office of the Special Officer for Dairy-cum-Livestock Farms, Hyderabad.	Do.
44	Office of the Goshala Development Officer, Hyderabad.	Do.
45	Office of the Food and Fodder Development Officer, Hyderabad.	Do.
46	Office of the Special Officer, Rinderpest Eradication Scheme, Hyderabad.	Do.

[No. 3/1/74-Poll. (K)]

सां० का० नि० 527 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आन्ध्र प्रदेश लोक नियोजन (स्थानीय काडरों का गठन और सीधी भर्ती का विनियमन) आदेश, 1975 के पैरा 2 के उप-पैरा (1) के खण्ड

(ठ) के अनुसरण में, उक्त आदेश के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को राज्य-स्तर कार्यालय या संस्था के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

क्रम संख्या	राज्य-स्तर के कार्यालय या संस्था का नाम	वह विभाग जिससे उसका संबंध है
(1)	(2)	(3)
1	वनस्पति संरक्षण तथा उत्तरवर्ती निगरानी का राज्य संस्थान	कृषि विभाग
2	कार्यालय, उप-निदेशक, कृषि (नाशि-कीटमार विश्लेषण)	यथोक्त
3	कार्यालय, कृषि उप निदेशक (मृदा सहसंबंधक), हैदराबाद	यथोक्त
4	कार्यालय, उप निदेशक, कृषि (परियोजना अधिकारी, तम्बाकू), गुंटूर	यथोक्त
5	कार्यालय कृषि उप निदेशक (गन्ना विकास) अनाकापल्ली	यथोक्त
6	कार्यालय, कृषि उप निदेशक (बीज प्रमाणीकरण) हैदराबाद	यथोक्त
7	कार्यालय, कृषि सहायक निदेशक (नारियल विकास), राजा मून्दड़ी	यथोक्त
8	कार्यालय, कृषि सहायक निदेशक (बीज परीक्षण), राजेन्द्रनगर	यथोक्त
9	कार्यालय, कृषि सहायक निदेशक (उर्वरक), मद्रास	यथोक्त
10	कार्यालय, कृषि संयुक्त निदेशक (परियोजना), हैदराबाद	यथोक्त
11	निवारक औषधि संस्थान, जिसमें राज्य औषध प्रयोगशाला तथा सरकारी विश्लेषक संगठन, हैदराबाद भी सम्मिलित है	चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा विभाग ।
12	उपचर्या महाविद्यालय, हैदराबाद	चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा विभाग

(1)	(2)	(3)
13	उस्मानिया चिकित्सा महाविद्यालय, हैदराबाद का दन्त पक्ष	यथोक्त
14	रेडियम संस्थान तथा कैंसर अस्पताल, हैदराबाद	यथोक्त
15	राज्य स्वास्थ्य संग्रहालय, हैदराबाद	यथोक्त
16	निज़ामिया तिब्बी महाविद्यालय, और अस्पताल, हैदराबाद	भारतीय औषधि तथा होम्योपैथी विभाग
17	पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, अनन्तपुर	पुलिस विभाग
18	कार्यालय, पुलिस उप-महा निरीक्षक, (आसूचना) हैदराबाद	यथोक्त
19	कार्यालय, पुलिस उप महानिरीक्षक, रेल, अपराध और प्रशिक्षण, हैदराबाद	यथोक्त
20	पुलिस परिवहन संगठन	यथोक्त
21	कार्यालय, निदेशक, पुलिस संचार, हैदराबाद	यथोक्त
22	न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, हैदराबाद	यथोक्त
23	कार्यालय, विधि अधिकारी अर्थात् महाधिवक्ता सरकारी प्लीडर और लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	न्याय विभाग
24	कार्यालय, महा-प्रशासक तथा शासकीय न्यासी, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	यथोक्त
25	कार्यालय, संपादक, आई० एल० आर० (आंध्र प्रदेश) सीरीज, हैदराबाद	यथोक्त
26	सभी सरकारी मुद्रणालय	मुद्रण लेखन सामग्री तथा भंडारक्रय विभाग
27	कार्यालय, आसवनी निदेशक, हैदराबाद	उत्पाद-शुल्क विभाग
28	केन्द्रीय सर्वेक्षण कार्यालय, हैदराबाद	व्यवस्थापन, सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख विभाग
29	राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय हैदराबाद	शिक्षा विभाग

(1)	(2)	(3)
30	कार्यालय, शारीरिक शिक्षा निरीक्षिका, हैदराबाद	शिक्षा विभाग
31	राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, हैदराबाद	लोक पुस्तकालय विभाग
32	राज्य सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज्य संस्थान, राजेन्द्र नगर	पंचायत राज विभाग
33	आन्ध्र प्रदेश इंजीनियरी अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद	लोक निर्माण विभाग (सिंचाई)
34	औद्योगिक सुरक्षा तथा उत्पादन केन्द्र, हैदराबाद	कारखाना तथा बायलर विभाग
35	वन विद्यालय, पेलान्डू	वन विभाग
36	अनुसंधान तथा विकास सर्किल, हैदराबाद	यथोक्त
37	परियोजना निरूपण सर्किल (जिसमें वन उपयोग कार्यालय भी सम्मिलित है), हैदराबाद	यथोक्त
38	राज्य व्यापार सर्किल, हैदराबाद	यथोक्त
39	मत्स्य उद्योग प्रशिक्षण, संस्थान, काकीनाडा	मत्स्य उद्योग विभाग
40	पशु चिकित्सा, जीव-विज्ञान और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	पशुपालन विभाग
41	कार्यालय, उप निदेशक, पशुपालन, (कुक्कुट पालन) हैदराबाद	यथोक्त
42	कार्यालय, भेड़ और बकरा विकास अधिकारी, हैदराबाद	यथोक्त
43	कार्यालय, विशेष अधिकारी दुग्ध उद्योग एवं-पशुधन, फार्म, हैदराबाद	यथोक्त
44	कार्यालय, गोशाला विकास अधिकारी, हैदराबाद	यथोक्त
45	कार्यालय, खाद्य तथा चारा विकास अधिकारी, हैदराबाद	यथोक्त
46	कार्यालय, विशेष अधिकारी, रिंडरपेस्ट उन्मूलन स्कीम, हैदराबाद	पशुपालन विभाग

[सं॰ 3/1/74—पौल (के)]

G.S.R. 528(E).—In pursuance of sub-paragraph (6) of paragraph 3 of the Andhra Pradesh Public Employment (Organisation of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment) Order, 1975, the Central Government hereby notifies the Departments in which and the categories of posts for which separate cadres have to be organised for the City of Hyderabad under the said sub-paragraph, as follows:—

Sl. No.	Name of the Department	Categories of posts.
(1)	(2)	(3)
1	Public Health and Municipal Engineering Department.	All Non-Gazetted categories including Junior Engineers and the specified Gazetted category.
2	Indian Medicines and Homoeopathy Department.	All Non-Gazetted categories except the categories of Senior Tabeebs/Lecturers, Senior Vaids/Lecturers and Senior Homoeo Physicians/Lecturers.
3	Fire Services Department.	All Non-Gazetted categories except the category of Assistant Divisional Fire Officers.
4	Jail Department.	Posts belonging to the category of Lower Division Clerk and other categories equivalent to or lower than that of a Lower Division Clerks.
5	Judicial Department.	Posts belonging to the category of Lower Division Clerk and other categories equivalent to or lower than that of a Lower Division Clerk.
6	Commercial Taxes Department. . . .	All non-gazetted categories.
7	Education Department.	All non-gazetted categories and thne specified gazetted categories other thaa Deputy Secretary/(Education), Zill Parishad.
8	Employment and Training Department.(Training Wing).	All non-gazetted categories.
9	National Cadet Corps Department. . . .	All non-gazetted categories.
10	Technical Education Department. . . .	All non-gazetted categories.
11	Weights and Measures Department. . .	All non-gazetted categories except the categories of Senior Inspectors.
12	Public Works (Roads and Building) Departments	All non-gazetted categories and the specified gazetted categories.
13	Labour Department	All non-Gazetted categories.
14	Treasuries and Accounts Department. . .	All non-gazetted categories in the Treasuries and Accounts Branch.

[No. 3/1/74-Poll(K)]

सा०का०नि० 528(अ).—केन्द्रीय सरकार, आंध्र प्रदेश लोक नियोजन (स्थानीय काडरों का गठन तथा सीधी भर्ती का विनियमन) आदेश, 1975 के पैरा 3 के उप-पैरा (6) के अनुसरण में, उन विभागों जिनमें तथा पदों के उन प्रवर्गों को, जिनके लिए उक्त उप-पैरा के अधीन हैदराबाद नगर के लिए पृथक काडर संगठित किये जाने हैं, को निम्नलिखित रूप में अधिसूचित करते हैं : —

क्रम सं०	विभाग का नाम	पदों के प्रवर्ग
(1)	(2)	(3)
1	लोक स्वास्थ्य तथा नगरपालिक इंजीनियरी विभाग	सभी अराजपत्रित प्रवर्ग जिनमें कनिष्ठ इंजीनियर तथा विनिर्दिष्ट राजपत्रित प्रवर्ग भी आते हैं ।
2	भारतीय औषधि तथा होम्योपथी विभाग	सभी अराजपत्रित प्रवर्ग, ज्येष्ठ तबीब/प्राध्यापक, ज्येष्ठ वैद्य/प्राध्यापक और ज्येष्ठ होम्यो काय-चिकित्सक/प्राध्यापक के प्रवर्गों को छोड़ कर ।
3	अग्नि सेवा विभाग	सभी अराजपत्रित प्रवर्ग ।
4	कारागार विभाग	निम्न श्रेणी लिपिक के प्रवर्ग तथा उसके समतुल्य अन्य प्रवर्गों या निम्न श्रेणी लिपिक के प्रवर्ग से निम्न प्रवर्ग के पद ।
5	न्याय विभाग	निम्न श्रेणी लिपिक के प्रवर्ग तथा उसके समतुल्य अन्य प्रवर्गों या निम्न श्रेणी लिपिक के प्रवर्ग से निम्न प्रवर्ग के पद ।
6	वाणिज्यिक कर विभाग	सभी अराजपत्रित प्रवर्ग
7	शिक्षा विभाग	सभी अराजपत्रित प्रवर्ग तथा उप-सचिव (शिक्षा) जिला परिषद् को छोड़ कर विनिर्दिष्ट राजपत्रित प्रवर्ग ।

(1)	(2)	(3)
8	रोजगार तथा प्रशिक्षण विभाग (प्रशिक्षण पक्ष)	सभी अराजपत्रित प्रवर्ग तथा विनिर्दिष्ट राजपत्रित प्रवर्ग ।
9	राष्ट्रीय कैडेट कोर विभाग	सभी अराजपत्रित प्रवर्ग ।
10	तकनीकी शिक्षा विभाग	सभी अराजपत्रित प्रवर्ग ।
11	तौल और माप विभाग	सभी अराजपत्रित प्रवर्ग ।
12	लोक निर्माण (सड़क और भवन), विभाग	सभी अराजपत्रित प्रवर्ग ।
13	श्रम विभाग	सभी अराजपत्रित प्रवर्ग ।
14	खजाना और लेखा विभाग	खजाने और लेखा शाखा में के सभी राजपत्रित प्रवर्ग ।

[सं० 3/1/74-पौल (के)]

G.S.R. 529(E).—In pursuance of sub-paragraph (8) of paragraph 3 of the Andhra Pradesh Public Employment (Organisation of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment) Order 1975, the Central Government hereby declares that it would not be practicable or expedient to organise local cadres under the said paragraph in respect of the Non-gazetted categories of post, specified in column (2) of the Schedule below in the Department specified in the corresponding entry in clumn (3) thereof.

THE SCHEDULE

Sl. No.	Name of category/categories.	Department.
(1)	(2)	(3)
1	Museum Assistant.	Indian Medicines and Homoeopathy Department.
2	Chief Radiographers.	Medical and Health Services Department.
3	Upper Division Clerks.	Fire Services Department.
4	Accountants	Do.

(1)	(2)	(3)
5	All categories of posts in the Special Police Battalions (including Special Armed Police, Amberpet) other than Ministerial categories.	Police Department.
6	All categories of executive posts and all categories of posts above Lower Division Clerk in the Jail Wing.	Jail Department.
7	All categories of posts above Lower Division Clerks.	Public Libraries Department.
8	All categories of posts above Lower Division Clerks.	Andhra Pradesh Text Book Press.
9	All categories of posts above Lower Division Clerks.	Archaeology and Museums Department.
10	All categories of posts above Lower Division Clerks.	Electrical Inspectorate.
11	All categories of posts above Lower Division Clerks.	Industrial Tribunal.
12	All categories of posts above Lower Division Clerks in the Soldiers, Sailors and Airmen Boards.	Employment and Training Department (Employment Wing including Soldiers, Sailors and Airmen Boards).
13	Village Officers and Village servants.	Revenue Department.

[No. 3/1/74-Poll. (K)]

P. P. NAYYAR, Jt. Secy.

सा०का०नि० 529 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आंध्र प्रदेश लोक नियोजन (स्थानीय काडरों का गठन तथा सीधी भर्ती का विनियमन) आदेश, 1975 के पैरा 3 के उप-पैरा (8) के अनुसरण में, घोषित करती है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट पदों के अराजपत्रित प्रवर्गों की बाबत, उक्त पैरा के अधीन, उसके स्तम्भ 3 में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विभाग में स्थानीय काडरों को संगठित करना साध्य या समीचीन नहीं होगा ।

अनुसूची

क्रम सं०	प्रवर्ग/प्रवर्गों का नाम	विभाग
(1)	(2)	(3)
1	संग्रहालय सहायक	भारतीय चिकित्सा तथा होम्योपैथी विभाग ।
2	मुख्य रेडियोग्राफर	चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा विभाग ।
3	उच्च श्रेणी लिपिक	अग्नि सेवा विभाग ।

(1)	(2)	(3)
4	लेखपाल	अग्नि सेवा विभाग ।
5	अनुसचिवीय प्रवर्गों से भिन्न, विशेष पुलिस बैटालियनों में (जिनमें विशेष सशस्त्र पुलिस, अम्बरपेट भी सम्मिलित है) पदों के सभी प्रवर्ग	पुलिस विभाग
6	कारागार पक्ष के कार्यपालिक पदों के सभी प्रवर्ग तथा निम्न श्रेणी लिपिक से ऊपर के पदों के सभी प्रवर्ग	कारागार विभाग ।
7	निम्न श्रेणी लिपिक से ऊपर के पद के सभी प्रवर्ग	लोक पुस्तकालय विभाग
8	निम्न श्रेणी लिपिक से ऊपर के पदों के सभी प्रवर्ग	आंध्र प्रदेश पाठ्य-पुस्तक मुद्रणालय ।
9	निम्न श्रेणी लिपिकों से ऊपर के पदों के सभी प्रवर्ग	पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग
10	निम्न श्रेणी लिपिक से ऊपर के सभी प्रवर्ग	विद्युत निरीक्षणालय
11	निम्न श्रेणी लिपिक से ऊपर के पदों के सभी प्रवर्ग	औद्योगिक अभिकरण
12	सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक बोर्डों में निम्न श्रेणी लिपिकों से ऊपर के पदों के सभी प्रवर्ग	रोजगार तथा प्रशिक्षण विभाग (रोजगार पक्ष जिसमें सैनिक, नौसैनिक तथा वायुसैनिक बोर्ड भी सम्मिलित हैं) ।
13	ग्राम अधिकारी और ग्राम सेवक	राजस्व विभाग ।

[सं० 3/1/74-तेल (के)]

पी० पी० नैयर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975